

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

ग्राम: चमातु थाना: बालुमथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक. 02.12.1994।

क० बासदेव साव, रामसेवक साव, मनोहर साव पिता पूरन साव ग्राम: चमातु, थाना सं: 56, (रैयती) खाता सं. 118 के अधीन प्लॉट सं० 2292, 2293, 2294, 2298, 2299, 2300, 2304 एवं 2305, कुल रकवा 9.44 एकड़ हैं।

कुल रैयती भूमि क 9.44 एकड़ के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।

2° ऊपर उल्लेखित भूमि क० ग्राम चमातु, थाना सं: 56, अंतर्गत रैयती खाता सं. 118 के अधीन प्लॉट सं० 2292, 2293, 2294, 2298, 2299, 2300, 2304 एवं 2305, कुल रकवा 9.44 एकड़ और यह खतियानी भूमि है और इसका खतियानी रैयत बासदेव साव, रामसेवक साव, मनोहर साव पिता पूरन साव है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56; जिला :- लातेहार, (रैयती) खाता सं. 118 के अधीन प्लॉट सं० 2292, 2293, 2294, 2298, 2299, 2300, 2304 एवं 2305, कुल रकवा 9.44 एकड़ जो बासदेव साव, रामसेवक साव, मनोहर साव पिता पूरन साव जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

04/08/22

F Akum  
04/08/2022  
मंगल राम  
04/8/22